न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 59/2022 विविध
निर्णय दिनांकः– 03.06.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

भूरा पुत्र हजारी जाति बागरिया निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

प्रार्थी

1. रामकवंरी देवी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. रामनारायण पुत्र काना जाति जाट निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. हनुमान पुत्र काना जाति जाट निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. निर्मल पुत्र छीतर
5. मदन पुत्र छीतर
6. रतन पुत्र छीतर
7. सायर पुत्र छीतर
   समस्त जातियान मीणा निवासी कांसेल तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
8. रामस्वरूप पुत्र चौथूराम जाति मीणा निवासी झाग बस स्टेण्ड रक्त्या भैरू जी के पास बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. मनभर देवी पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
10. रामनाथ पुत्र काना जाति मीणा निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
11. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सुनिल कुमार जोशी वकील प्रार्थी
श्री विनय कुमार जैन वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 व 9
प्रार्थना पत्र पत्थरगढी किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांकः– 03.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि खतौनी सं. 169 के आराजी खसरा नम्बर 514/470 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम राताखेडा पटवार तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने अपनी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान्

लगातार...................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/LR/2019/2672—2674 दिनांक 31/05/2019 की पालना में दिनांक 14/06/2019 को पटवार हल्का कांसेल ने खसरा नम्बर 514/470 का सीमाज्ञान करवाया। सीमाज्ञान विधिवत पूर्ण कर पर्द मौका पर उपस्थित मौतवीरान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान अपने खातेदारी भूमि पर काबिज है फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन सीमाज्ञान को अनदेखा कर सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगे तथा अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्याबल में प्रार्थी से अधिक है तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। अप्रार्थीगण विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी के समक्ष दिनांक 31/05/2019 को आवेदन पर आदेश क्रमांक/LR/2019/2672—2674 की पालना में पटवारी हल्का कांसेल ने विधिवत रूप से सीमाज्ञान दिनांक 14/06/2019 को कर एवं प्रार्थी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान निशानात कायम किये। पटवारी हल्का कांसेल द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कायम निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा अपने प्रभाव व संख्या बल से प्रार्थी से आये दिन मेरे कोर को लेकर लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी से विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दि. 14/06/2019 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 की और वकील श्री विनय कुमार जैन उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो के अतिरिक्त कथंन मे बताया की आराजी ख0न0 514/470 रकबा 0.6323 है0 भूमि वाके ग्राम राताखेडा तहसील फागी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व मे राजकीय भूमि थी जिस पर वर्षो पूर्व से ही अर्थात प्रार्थी को अलॉटमेन्ट से पूर्व से ही ग्राम के कई लोगों ने बाडें बना रखे है एवं कुछ भूमि पर कातला — खरंजा सडक बनी हुई है। जिससे ग्रामवासी राताखेडा से कासेंल आते जाते है। प्रार्थी मूल रूप से ग्राम

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

राताखेडा का रहने वाला नही है। प्रार्थी ने राजस्व कारकुनानों से मिलीभगत करके बिना ग्राम राताखेडा में रहवास के बिना ही स्वयं को ग्राम राताखेडा का स्थाई निवासी बताकर उक्त भूमि स्वंय के नाम अलॉट करवायी है, परन्तु मौके पर प्रार्थी का कभी कब्जा प्राप्त नही रहा एवं न ही प्रार्थी ने उक्त भूमि को कभी काश्त की है जो तहसीलदार फागी से प्राप्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। प्रार्थी ने बिना कब्जे की भूमि स्वंय के नाम करवायी है जिस पर प्रार्थी के नाम होने के बाद भी कभी आज तक कब्जा काश्त नही रहा एवं जिसका न तो कभी सीमाज्ञान हुआ है एवं न ही उक्त भूमि पर प्रार्थी कभी काबिज रहा है। कानूनन प्रार्थी को सर्वप्रथम मौके पर काबिज लोगों के विरूद्व बेदखली का वाद पेश कर उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही करनी चाहिए बिना मौके पर कब्जे के बिना पत्थरगढी की आड में किसी को बेदखल नही किया जा सकता है। वर्तमान मे क्षैत्र में जमीनों की कीमते बढ जाने से प्रार्थी की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है चूकि उक्त भूमि प्रार्थी को अलॉट हुई है लेकिन उस पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी सं0 8 व 10 बावजूद वाद तामिल के भी अनुपस्थित रहे। इसलिये अप्रार्थी सं0 8, 10 के विरूद्व दिनांक 04.04.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस विद्वान उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पांवसू मे स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2069 – 2072 वाके ग्राम राताखेडा के ख0न0 514/470 मे प्रार्थी रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादग्रस्त आराजी का पूर्व मे दिनांक 14.06.2019 को सीमाज्ञान हो चुका है। लेकिन अन्य पडौसी खातेदार उक्त सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नही होना बताया है। पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नही बने इस बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..................4

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 514 / 470 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम राताखेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारान व तहसीलदार फागी की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। तहसीलदार फागी को पालनार्थ पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते